भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 689
दिनांक 18 सितम्बर, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

दवाओं की आपूर्ति में अवरोध से निपटने के उपाय

689. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण दवाओं और अन्य विनिर्मित वस्तुओं की आपूर्ति में संभावित अवरोध से निपटने के लिए उपायों की घोषणा की है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)

(क) और (ख): जी, हां। औषध विभाग ने कोविड-19 महामारी के दौरान वहनीय मूल्यों पर आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि के दौरान दवाइयों की कमी न हो को सुनिश्चित करने के लिए समय पर और प्रभावी कदम उठाए गए। ब्यौरा इस प्रकार है:

(i) दवाइयों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, हेल्पलाइन नंबर 1800111255 के साथ एक 'नियंत्रण कक्ष' स्थापित किया गया और दवाइयों, मास्क, दस्ताने, हैंड सैनिटाइज़र आदि उपलब्ध न होने और दवाइयों, मास्क, दस्ताने, हैंड सैनिटाइज़र आदि के मूल्य उल्लंघन जैसे मुद्दों का यथासमय निपटान किया।

(ii) एपीआई, सम्मिश्रणों और चिकित्सा उपकरणों की देश में समय से उपलब्धता सुनिश्चित करने और इनकी कमी को दूर करने हेतु इनके निर्यात और आयात के रुझानों की निगरानी करने के लिए श्री एस. ईश्वरा रेड्डी, संयुक्त दवा नियंत्रक, सीडीएससीओ की अध्यक्षता में एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है।

(iii) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों जैसे एसडीसी और केंद्रीय सरकार प्राधिकरणों जैसे सीडीएससीओ, डीजीएचएस, डीपीआईआईटी आदि के साथ समन्वय करके दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। औषध विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने दवा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने में इस्तेमाल होने वाले दवा विनिर्माताओं से महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की।

(iv) कोविड-19 उपचार में प्रयुक्त होने वाली हेपरिन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एनपीपीए द्वारा एन-95 मास्क की कीमत-समता के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने पर, एन-95 मास्क के प्रमुख निर्माताओं/आयातकर्ताओं ने अपनी कीमतों में 67% तक की कमी की है।

(v) औषध विभाग ने लॉकडाउन के दौरान जीवन रक्षक आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता के लिए विनिर्माताओं के कच्चे माल के उत्पादन, दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों, पैकेजिंग सामग्री इत्यादि और कच्चे माल, पैकिंग सामग्री, तैयार माल और जनशक्ति आदि की आवाजाही के मुद्दों के लिए भी समन्वयन किया।

(vi) एनपीपीए ने जीवन रक्षक दवाइयों जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन, पेरासिटामोल, वैक्सीन, ट्यूबरकुलोसिस-रोधी दवा, डायबिटिक-रोधी दवा, कार्डियक दवा, आयातित मिर्गी-रोधी दवाइयां और कोविड-19 दवाइयों जैसे एफडीसी लोपिनोविर और रितोनवीर रेमेडिसविर, फेविपिरवीर, जिंक सल्फेट, माइथाइलप्रेडनिसोलोन, एनोक्सपेरिन, डेक्सामेथासोन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

(vii) इसके अतिरिक्त, औषध विभाग के हस्तक्षेप पर, रेमेडीसविर के विनिर्माताओं ने रेमेडिसविर उपलब्ध कराने के लिए एक हेल्पलाइन बनाई है। यद्यपि, रेमेडीसविर और टोसिलीजुमेब कोविड-19 प्रोटोकोल के अन्तर्गत जांच चिकित्सा दवाइयों के तहत जारी हैं। एनपीपीए द्वारा उठाए गए विभिन्न चरणों का विवरण अनुलग्नक-1 पर है।

अनुलग्नक-I

औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

1. एनपीपीए ने दिनांक 20 फरवरी, 2020 के अपने अ.शा. पत्र के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों से सक्रिय औषधीय घटकों (एपीआई) और उनके सम्मिश्रणों के उत्पादन और उपलब्धता की बारीकी से निगरानी करने का अनुरोध किया था और हर समय उपभोक्ताओं को जीवनरक्षक आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

2. कोविड-19 संकट के साथ प्रभावशाली रूप से निपटने के लिए मास्क, सेनिटाइजर और दस्तानों जैसे महत्वपूर्ण चिकित्सीय उपकरणों की उपलब्धता और मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों के निपटान के उद्देश्य से एनपीपीए ने दिनांक 13 मार्च, 2020 के अपने पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से औषधि के रूप में चिकित्सा उपकरणों पर विचार करने की तारीख को जल्दी लागू करने का अनुरोध किया।

3. एनपीपीए ने दिनांक 13 मार्च के अपने आदेश के माध्यम से आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (1) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्जिकल और सुरक्षात्मक मास्कों, हैंड सेनेटाइजरों और दस्तानों, जिनका मूल्य पैक साइजों पर मुद्रित एमआरपी से अधिक नहीं होना चाहिए, की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और संबंधित राज्य प्राधिकारियों को निर्देश जारी किए। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने मास्क और हैंड सेनेटाइजरों का उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण, संभार तंत्र विनियमित करने के लिए 13 मार्च, 2020 को आदेश जारी किया था।

4. सतत् निगरानी करने के प्रयास में सभी राज्य औषधि नियंत्रकों को 18 मार्च, 2020 को एक पत्र भी लिखा गया था जिसमें फील्ड अधिकारियों के माध्यम से सर्जिकल और सुरक्षात्मक मास्कों, हैंड सेनेटाइजरों और दस्तानों को छिपाने की गतिविधियों और विनिर्माताओं, वितरकों, भंडारकों और खुदरा विक्रेताओं द्वारा इन वस्तुओं की मुनाफाखोरी को रोकने हेतु तत्काल कार्यवाही करने और साथ ही ऐसे मूल्य पर जो एमआरपी से अधिक न हो पर इन वस्तुओं की उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए थे।

5. कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की निर्बाध उपलब्धता बनाए रखने के प्रयास में एनपीपीए ने दिनांक 19 मार्च के पत्र के माध्यम से सचिव (वस्त्र) से मास्क के लिए महत्वपूर्ण सामग्रियों (पीपी मैल्टब्लॉन नॉन वोवन फेबरिक, नोज वायर और लूप इलास्टिक नॉन लेटेक्स) पर अस्थायी निर्यात प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया। इसके अलावा एनपीपीए द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर डीसीजीआई ने 19 मार्च के अपने आदेश के माध्यम से सीडीएससीओ के सभी बंदरगाह

कार्यालयों को सीमा सुरक्षा के समन्वय में दस्तानों के आयातित भंडार को जनहित में तेजी से मंजूरी देने के लिए सक्रिय कदम उठाने का निर्देश दिया।

6. एन95 मास्क और पीपीई किट की उपलब्धता से संबंधित मामले को अधिकार प्राप्त समूह 3 को सौंपा गया है तथा 2 प्लाई/ 3 प्लाई मास्क और हैंड सेनेटाइजरों के मामले की निगरानी क्रमश: उपभोक्ता कार्य मंत्रालय और खाद्य विभाग द्वारा की जा रही है। एनपीपीए ने उक्त चिकित्सा उपकरणों के संबंध में आंकड़ा सृजन कार्य शुरू किया और प्रभावशाली निगरानी के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ इसे साझा किया।

7. एनपीपीए ने देश में मास्क, दस्तानों, हैंड सेनेटाइजरों, पीपीई किटों और वैंटिलेटरों के घरेलू विनिर्माताओं के संबंध में सूचना एकत्र करने के लिए प्रयास किए। इस संबंध में एनपीपीए में और साथ ही उद्योग संघों सहित पणधारकों के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न बैठकें की गईं। कोविड19 के उपचार के लिए आवश्यक इन उपकरणों की खरीद में सहायता करने के लिए संकलित सूचना को एनपीपीए की वेबसाइट पर डाला गया और साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया।

<u>एन95 मास्कों की वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम</u>

1. देश में एन95 मास्क की वहनीय मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनपीपीए ने दिनांक 21.05.2020 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से एन95 मास्क के विनिर्माताओं/आयातकों/आपूर्तिकर्ताओं को निर्देशित किया कि वे गैर-सरकारी खरीदों के लिए मूल्य में समतुल्यता बनाए रखें और उचित मूल्यों पर इन्हें उपलब्ध करवाएं तथा इसके उल्लंघन किए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

2. ऐसी एक एडवाइजरी जारी होने के पश्चात् एन95 मास्क के प्रमुख विनिर्माताओं/आयातकों ने अपने मूल्यों में विशिष्ट रूप से 67 प्रतिशत तक की कमी की। इसके अतिरिक्त आम जनता तक सूचना का प्रसार करने के लिए इस संबंध में दिनांक 25.05.2020 को एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी।

<u>एनपीपीए का कंट्रोल रूम एवं हैल्पलाइन</u>

मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और दस्तानों सहित दवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने सहित कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण उत्पन्न होने वाली विकट स्थिति से निपटने के उपाय के रूप में, एनपीपीए ने 20 मार्च 2020 को एक हेल्पलाइन नंबर 1800111255 और ई-मेल आईडी monitoring-nppa@gov.in के साथ एक 'कंट्रोल रूम' स्थापित किया। इस कंट्रोल रूम ने 1867 कॉल अटैंड की और दिनांक 31.08.2020 तक राज्य औषधि नियंत्रण विभागों, एआईओसीडी, एआईएमईडी आदि के समन्वय से सभी प्रकार की शिकायतों को दूर किया।

एनपीपीए की कंट्रोल रूम टीम ने 24x7 आधार पर, 3 शिफ्टों में, दूरस्थ स्थानों पर वास्तविक आधार पर काम किया और कई मामलों के शीघ्र समाधान के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों, एसडीसी, जिला / राज्य प्रशासन और अन्य राज्य प्राधिकारियों के समन्वय में गंभीर प्रयास किए हैं। एनपीपीए कंट्रोल रूम के माध्यम से हल किए गए मामलों की सूची नीचे दी गई है:

क्र.सं.	मामले
1	दवाओं, मास्क, दस्तानों, हैंड सैनिटाइजर्स आदि की अनुपलब्धता।
2	दवाओं, मास्क, दस्तानों, हैंड सैनिटाइजर्स आदि की उच्च कीमत।
3	विनिर्माताओं द्वारा कच्चे माल, दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, पैकेजिंग सामग्री आदि के उत्पादन के लिए अनुमति में समन्वय
4	कच्चे माल, पैकिंग सामग्री, तैयार माल और जनशक्ति के कार्यकलापों में समन्वय।

<u>औषधियों की उपलब्धता हेतु संभार तंत्र प्रबंधन के लिए कदम</u>

1. देश भर में औषधियों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए औषध उद्योग के संभार तंत्र मुद्दों को सुलझाने के लिए खाद्यों और दवाइयों जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के लिए आपूर्ति श्रृंखला एवं संभार तंत्र प्रबंधन सुविधाओं के संबंध में श्री परमेश्वरन अय्यर, सचिव, डीडब्ल्यूएस की अध्यक्षता वाले अधिकार प्राप्त समूह 5 के साथ एनपीपीए ने सहभागिता की।

2. लॉकडाउन की अवधि, जिसमें विभिन्न स्थानों पर राज्यों की सीमाएं सील किया जाना शामिल हैं, में औषध क्षेत्र ने देश में औषधियों और चिकित्सा उपकरणों की निर्बाध उपलब्धता प्रदान करने के प्रयास में संभार तंत्र कच्चे माल और जन शक्ति से संबंधित गंभीर चुनौतियों का सामना किया। इस संबंध में एनपीपीए ने औषध उद्योग द्वारा सामना की जा रही संभार तंत्र रूकावटों के प्रबंधन में कई कदम उठाए जिनके परिणामस्वरूप देश में दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता में वृद्धि हुई।

3. एनपीपीए ने कोविड19 की दवाइयों और साथ ही अन्य आवश्यक दवाइयों जिनमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, पैरासिटेमोल, टीके, टीबी, इन्सुलीन और अन्य हृदय संबंधी दवाइयां शामिल हैं, की उपलब्धता के लिए कदम उठाए। साथ ही एनपीपीए गैर-गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, संभार तंत्र, एमआईएस, कमियों और निर्यातों से संबंधित विषयों से भी जूझ रहा है।

4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और कुछ गैर-सरकारी संगठनों द्वारा इंपोर्टेड एंटी एपीलैप्टिक औषधियों (विशेष रूप से सैब्रिल 500) की कमी की सूचना दी गई थी। एनपीपीए ने इस पर तुरंत कार्रवाई की और तेजी से इसका समाधान किया। इसी प्रकार कोविड के उपचार के लिए इंपोर्टेड औषधि एक्टर्मा की उपलब्धता के मामले में भी आयातक अर्थात् सिपला के साथ चर्चा के माध्यम से इस मामले का निपटान किया।

5. एनपीपीए ने प्रशासक, दमन एवं दीव और मुख्य सचिव, महाराष्ट्र से दिनांक 25 अप्रैल, 2020 के अ.शा. पत्र संख्या 37001/2020/डीआईवी.-III एनपीपीए/पार्ट के माध्यम से देश में तपेदिक रोधी दवाइयों की कमी के जोखिम को दूर करने के लिए खामियों के समाधान के संबंध में तत्काल आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया।

6. साथ ही सचिव (स्वास्थ्य) के 14 अप्रैल, 2020 के पत्र के संदर्भ में संयुक्त सचिव (आरसीएच) की ओर से 21 अप्रैल, 2020 के संप्रेषण, जिसमें व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यूआईपी) को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए आवश्यक दवाइयों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र व्यापी लॉकडाउन के कारण यातायात संबंधि मामलों का निपटान करने का अनुरोध किया गया था, के आधार पर एनपीपीए ने 21 अप्रैल, 2020 के पत्र के माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार से वैक्सीनों की आवश्यक आपूर्तियों की एयर लिफ्टिंग के संबंध में यथाशीघ्र तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया क्योंकि यह यूआईपी के सुगम संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

7. सभी मामलों के निपटान के लिए व्यक्तियों एवं साथ ही संघों/उद्योग तथा संस्थानों/विभागों की ओर से प्राप्त छोटी एवं बड़ी शिकायतों का निपटारा किया गया। लॉकडाउन के दौरान महत्वपूर्ण दवाइयां प्राप्त ना होने की शिकायतें प्राप्त की गई। एसडीसी के समन्वय के माध्यम से इनको घर पर डिलीवर करवाया गया।

8. दिनांक 26 मार्च, 2020 को एनपीपीए ने सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को अनुरोध किया कि कच्चे माल, पैकिंग सामग्री और तैयार उत्पादों की तथा औषधि एवं चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण और वितरण से संबंधित जनशक्ति की बिना रुकावट आवाजाही हो।

<u>कोविड-19 के लिए डैशबोर्ड तैयार करना</u>

एनपीपी ने अपनी वेबसाइट पर एक कोविड-19 डैशबोर्ड तैयार किया जिसमें हाल ही के कार्यालय आदेश, परिपत्र तथा लोगों और अन्य पणधारकों की सुविधा के लिए शिकायत भेजने के लिए हेल्पलाइन संख्या, ई-मेल आदि मौजूद है। लिंक: http://www.nppaindia.nic.in/ en/whats-new-about-coronavirus/.

<u>कोविड और कोविड प्लस दवा डाटाबेस का सृजन</u>

एनपीपीए ने डीसीजीआई के सहयोग से कोविड-19 से लड़ाई लड़ने के लिए एक सुरक्षात्मक तैयारी के कदम के रूप में कोविड और कोविड प्लस (55+97) दवाइयों के लिए एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया है। यह इस मौजूदा स्थिति में और साथ ही संगठन की भावी आवश्यकताओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। डीसीजीआई को निर्देश दिया गया है कि उपचारात्मक कार्रवाई की कमी होने की स्थिति में समय रहते जानकारी प्राप्त करने (रिंग द बैल) के लिए एक राज्यवार तंत्र का सृजन करें।

<u>मेडिकल ऑक्सीजन प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम</u>

एनपीपी ने साथ ही मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता के विषय पर समन्वय स्थापित किया। सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह 3 (ईजीओएस) ने 27 मई, 2020 को मुख्य निर्माताओं द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के लागत प्रभाव के संबंध में ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल गैस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईआईजीएमए) के अभ्यावेदन पर विचार किया। प्रशुल्क आयोग से इस दावे की जांच करने के लिए कहा गया।

एनपीपीए ने कंपनियों से मेडिकल ऑक्सीजन के लिए डाटा को प्रशुल्क आयोग को समन्वित किया और यह सुनिश्चित किया कि समय रहते दावे की जांच की जाए। इस रिपोर्ट में प्रशुल्क आयोग ने यह उल्लेख किया है कि एआईआईजीएमए का दावा प्रमुख रूप से ऑक्सीजन के उत्पादन और बिजली उपभोग की लागत में वृद्धि के कारण विभिन्न गैसों की वेंटिंग पर आधारित है। तथापि, एआईआईजीएमए/विनिर्माताओं द्वारा प्रदान किए गए आंकडों के आधार पर इन दोनों ही आधारों की प्रथम दृष्टया पुष्टी नहीं हुई और मूल्य वृद्धि दावे को खारिज कर दिया गया।

<u>निर्यात प्रतिबंध के तहत दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम</u>

1. देश में औषधि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य दवाइयों के साथ पेरासिटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को निर्यात प्रतिबंध के अंतर्गत रखा गया था। एनपीपीए ने निर्यात प्रतिबंधों के तहत इन औषधियों के संबंध में एपीआई/केएसएम/मध्यवर्ती सामग्रियों कि विनिर्माण क्षमता, घरेलू आवश्यकता, वर्तमान भंडार, खरीद आदेशों के संबंध में आंकड़े एकत्रित करने के लिए सभी भरसक प्रयास किए।

2. पेरासिटामोल की भंडार स्थिति, विनिर्माण क्षमता और घरेलू आवश्यकता की व्यापक जांच करने के आधार पर औषध विभाग/ एनपीपीए ने 15 मई 2020 के पत्र के माध्यम से डीजीएफटी से सिफारिश की कि पेरासिटामोल एपीआई के निर्यात पर इस शर्त के साथ प्रतिबंध को हटा लिया जाए कि मुख्य विनिर्माता घरेलू बाजार में समकक्ष मात्रा में इसकी आपूर्ति बनाए रखेंगे। एनपीपीए प्रमुख विनिर्माताओं द्वारा घरेलू बाजार में पेरासिटामोल एपीआई के विनिर्माण, भंडार स्थिति और आपूर्ति से संबंधित विवरण की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है।

3. साथ ही दिनांक 11.06.2020 को डीजीएफटी से यह सिफारिश की गई थी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एपीआई और सम्मिश्रण के निर्यात पर प्रतिबंध को इस शर्त के साथ हटा लें कि प्रमुख विनिर्माता घरेलू बाजार में इसकी पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखेंगे।

4. एनपीपीए प्रमुख विनिर्माताओं द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के विनिर्माण, भंडार स्थिति और विभिन्न प्राधिकरण एजेंसियों को की गई इसकी आपूर्ति से संबंधित विवरण की नियमित रूप से निगरानी

कर रहा है। साथ ही, एनपीपीए केंद्रीय मंत्रिमंडल, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से संबंधित प्रमुख विनिर्माताओं से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर इससे संबंधित दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है।

सर्वेक्षण के माध्यम से निगरानी

महत्वपूर्ण दवाइयों की उपलब्धता की निगरानी सीडीएससीओ केमिस्ट स्तरीय सर्वेक्षणों, एआईओसीडी सर्वेक्षणों और फार्मट्रेक रिपोर्टों के माध्यम से भी की जाती है।

अन्य कोविड-19 दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

1. जब कभी भी कोविड-19 के उपचार प्रोटोकॉल के लिए किसी दवाई (अर्थात एफडीसी लोपिनावीर और रिटोनावीर रेमिडेसिविर, फाविपिरावि‍र, जिंक सल्फेट, मिथाइल प्रेड़नीसोलोन, एनोक्सपैरिन, डेक्सामेथासोन आदि) पर विचार किया गया है, एनपीपीए ने देश में उपलब्धता स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए सूचना एकत्र करने का काम सक्रिय रूप से किया है।

2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अपेक्षित अनुमानित मात्रा प्राप्त होने पर, एनपीपीए ने 03.07.2020 और 16.07.2020 के पत्र के माध्यम से मिथाइलप्रेड़नीसोलोन, एनोक्सापरिन, डेक्सामेथासोन के प्रमुख विनिर्माताओं को निर्देश दिया है कि देशभर में इन दवाइयों का पर्याप्त उत्पादन और उपलब्धता सुनिश्चित करें।

एसडीसी के साथ समन्वय के लिए उठाए गए कदम

एनपीपीए औषधियों की उपलब्धता की निगरानी करने और समुचित कार्रवाई करने के लिए वीसी के माध्यम से एसडीसी और औषधि विनिर्माताओं के साथ नियमित रूप से बैठके आयोजित करता है। साथ ही एनपीपीए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एसडीसी के साथ समन्वय भी करता है।

हैपारिन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

एनपीपीए को हैपारीन इन्जेक्शन 5000आईयू/एमएल, जिसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आवश्यक कोविड प्लस दवाई के रूप में माना गया है, की अधिकतम मूल्यसीमा में वृद्धि संशोधन के लिए विभिन्न विनिर्माताओं की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एनपीपीए ने हेपारिन के अधिकतम मूल्य में 6 महीने की अवधि के लिए वृद्धि की।

<u>दवाइयों की मूल्य वृद्धि रोकने के लिए उठाए गए कदम</u>

1. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने डीसीजीआई, राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को बाजार में वहनीय मूल्यों पर सर्जिकल और सुरक्षात्मक मास्क, हैंड सैनिटाइजरों और दस्तानों सहित एपीआई और सम्मिश्रणों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा कालाबाजारी और उपर्युक्त वस्तुओं की जमाखोरी, जिससे देश में बनावटी कमी की स्थिति पैदा की जा सके, को रोकने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए।

2. एनपीपीए ने रेमिडेस्विर और टोक्लीजुमेब की कालाबाजारी की रिपोर्टों का संज्ञान लिया और डीसीजीआई को निर्देश दिया कि इस संबंध में समुचित कार्यवाही करने के लिए एसडीसी को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

3. एन95 मास्क के मूल्यों को निर्धारित करने के संबंध में राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और आम जनता की ओर से विभिन्न अनुरोध पत्र प्राप्त हुए क्योंकि यह मास्क बाजार में काफी अधिक मूल्यों पर उपलब्ध हैं। देश में वहनीय मूल्य पर एन95 मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनपीपीए ने 21.05.2020 के का. ज्ञा. के माध्यम से एन95 मास्क के विनिर्माताओं/आयातकों/आपूर्तिकर्ताओं को निर्देश दिया कि गैर सरकारी खरीद के लिए इनके मूल्य में समतुल्यता रखी जाए और इन्हें वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए और उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

4. ऐसी एक एडवाइजरी जारी होने के पश्चात् एन95 मास्क के प्रमुख विनिर्माताओं/आयातकों ने अपने मूल्यों में विशिष्ट रूप से 67 प्रतिशत तक की कमी की। इसके अतिरिक्त आम जनता तक सूचना का प्रसार करने के लिए इस संबंध में दिनांक 25.05.2020 को एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी।

5. एनपीपीए ने साथ ही एन95 मास्क की कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतों का संज्ञान भी लिया और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए एसडीसी, महाराष्ट्र को निर्देश दिया। एसडीसी ने एन95 मास्क की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाली कंपनी पर छापे मारे।

******